उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबन्धक
जगाधरी वर्कशाप

संख्या 839-ई/1/ई-IV बिल दिनांक 09.04.2020

मुख्य कार्यालय अधीक्षक (समय व वेतन)
यांत्रिक एवं विधुत विभाग,
जगाधरी वर्कशाप ।

विषय:- April-2020 के वेतन भुगतान के संबंध में।

COVID - 19 के कारण लॉक डाउन से उत्पन्न स्थिति के अंतर्गत April-2020 के वेतन हेतु जीए (GA) लिस्ट निम्नलिखित निर्देशो के ध्यान में रखते हुए भेजने की व्यवस्था कीजिए ।

1. उचित दिशा निर्देशों के अनुसार जोकि इस कार्यालय के पत्रांक 22.03.2020, 25.03.2020 व 31.03.2020 द्वारा आवश्यक कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने की अनुमति दी गई अत: इसलिए उन कर्मचार्यों का वेतन नही काटा जायेगा।
2. ऐसे कर्मचारी जो लॉक डाउन से पहले डयूटी पर है और लॉक डाउन के कारण कार्यालय में उपस्थित नही हो सकते, के वेतन की कटौती नही की जायेगी।
3. लॉक डाउन से पहले अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
4. लंबी अवधि से अनुपस्थित कर्मचारियों के वेतन के वेतन का भुगतान नही किया जायेगा।

   संबंधित समय कार्यालय डीलर द्वारा जीए (GA) लिस्ट में उल्लेख किया जायेगा यदि ऐसा नही किया जाता और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियो को वेतन का भुगतान हो जाता है तो यह ज़िम्मेदारी जीए (GA) लिस्ट डीलर की होगी।
5. एक दिन के मूल वेतन की कटौती COVID-19 के लिए अपील जारी की जा चुकी है। अन्य विकल्प न प्राप्त होने पर एक दिन का वेतन काटा जायेगा।
6. April-2020 के वेतन प्रशिक्षुओं के वेतन के लिये केवल मूल वेतन, डीए, परिवहन भत्ता और एचआरए (HRA) का भुगतान किया जायेगा, एनडीए(NDA), टीए(TA) और Over time(O.T.) आदि जिनकी जॉच की आवश्यकता होती है, का भुगतान बाद के नियमित वेतन में समायोजित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त आदेश मुख्यालय से प्राप्त किसी भी संशोधित आदेश के अन्तरिम विषय है। इसलिए सभी संबंधित उपरोक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति है।

9/4/2020

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक
उ0 रे0, जगाधरी वर्कशाप।

प्रतिलिपि:-

1. सभी अधिकारीगण/जगाधरी वर्कशाप एवं कालका वर्कशाप ।
2. हित निरीक्षक, जगाधरी वर्कशाप एव कालका वर्कशाप।

Scanned with CamScanner